

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी
चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण कं.-385 / 2014
संस्थित दिनांक-08.07.2014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा
आरक्षी केन्द्र पिपरई
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

दिनेश पुत्र मेहताब सिंह अहिरवार उम्र 28 साल
निवासी ग्राम देरासा, तहसील पिपरई
जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्त

—: निर्णय :—

(आज दिनांक 21.06.2018 को घोषित)

- 01— अभियुक्त के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 457 के दण्डनीय अपराध है कि उसने दिनांक 27.06.2014 को रात्रि 12:00 बजे फरियादी के घर ग्राम देरासा थाना पिपरई में फरियादियां कमलेशबाई, के घर में चोरी कारित करने के आशय से घुसकर रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया।
- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 27.06.2014 को रात्रि करीब 12 बजे लगभग फरियादिया के लडके संजय ने बताया कि कोई आंगन में खडा है, फरियादियां कमलेश ने देखा तो गांव का ही दिनेश अहिरवार था, कमलेश ने लाईट की रोशनी में उसे पहचान लिया, और आवाज देकर कहा कि तू यहां क्यों खडा है, घर में क्यों घुस आया। कमलेश बाई के चिल्लाने पर उसकी देवरानी सुनीता और पतरे आ गये। दिनेश को पकड़ना चाहा तो दिनेश धक्का देकर भाग गया। जिससे कमलेश के दाहिने हाथ के ढडा और नाक में लग गई और निशान बन गये। फरियादियां की रिपोर्ट पर से अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस थाना पिपरई के अपराध क्रमांक-190/2014 अंतर्गत धारा- 457 भा0द0वि0 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक 23.03.2017 को फरियादिया कमलेश बाई द्वारा अभियुक्त से राजीनामा करने बाबत आवेदन अंतर्गत धारा 320 द0प्र0स0 के प्रस्तुत किया गया था। अभियुक्त पर आरोपित अपराध भा0द0वि0 की धारा 457 शमनीय प्रकृति की न होने के कारण प्रस्तुत आवेदन निरस्त करते हुये उक्त धारा के तहत अभियुक्त का विचारण किया गया।
- 04— अभियुक्त को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा-313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

05- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

1.	क्या अभियुक्त ने दिनांक 27.06.2014 को रात्रि 12:00 बजे फरियादी के घर ग्राम देरासा थाना पिपरई में फरियादियां कमलेशबाई, के घर में चोरी कारित करने के आशय से घुसकर रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया ?
2.	दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

- 06- फरियादियां कमलेश (अ0सा0-01) अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि अभियुक्त उसी के मोहल्ले में निवास करता है, इसलिए उसे वह जानती है। फरियादिया के अनुसार घटना दिनांक की रात्रि के समय उसका पति बैण्ड बजाने के लिये बाहर गया था, तथा वह अपने घर के आंगन में अपने लडके संजय (अ0सा0-03) व लडकी नीतेश के साथ सो रही थी, तथा उसका गुरु भाई पतरे चबूतरे पर सो रहा था, तो रात्रि 12:00 बजे जब उसके लडके संजय (अ0सा0-03) ने उससे पानी मांगा और कहा कि कोई घर में है, तो देखने पर उसे अभियुक्त दिनेश उसे घर में घुसा हुआ दिखा, जो उससे चैट गया था, और धक्का देकर भाग गया था, तथा जब वह चिल्लाई, तो मौके पर उसकी देवरानी सुनीता (अ0सा0-02) आ गई थीं।
- 07- कमलेश (अ0सा0-01) के द्वारा मुख्य परीक्षण में दिये गये उपरोक्त कथन उसके प्रतिपरीक्षण में भी अखण्डित रहे हैं तथा इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 03 में भी स्पष्ट किया है कि उसका पति घटना दिनांक की रात्रि को घर पर नहीं था, बल्कि ग्राम गरेठी गया था। फरियादिया का अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 06 में भी स्पष्ट रूप से यह कहना है कि अभियुक्त को उसने पहचान लिया था तथा वह उसे धक्का देकर भाग गया था। कमलेश (अ0सा0-01) के अनुसार उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर मौके पर उसकी देवरानी सुनीता (अ0सा0-02) भी आ गई थी तथा घर में उस समय उसका पुत्र संजय (अ0सा0-03) व पुत्री नीतेश भी साथ में थे तथा उसका गुरु भाई पतरे चबूतरे पर सो रहा था।
- 08- अभियोजन की ओर से घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के रूप में फरियादियां कमलेश (अ0सा0-01) की देवरानी सुनीता (अ0सा0-02) व संजय (अ0सा0-03) के कथन भी न्यायालय में कराये गये हैं, वही साक्षी पतरे को अपने समर्थन में कथन देने के लिये प्रस्तुत नहीं किया गया। अभियोजन की ओर से परीक्षण कराये गये, घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों में से संजय (अ0सा0-03) जो कि नाबलिंग है, ने अपने न्यायालीन कथनों में अपनी मां कमलेश (अ0सा0-01) के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथनों एवं अभियोजन घटना का कोई समर्थन नहीं किया है तथा घटना की जानकारी न होना बताया है और न

ही यह साक्षी पुलिस के द्वारा उससे कोई पूछताछ करना एवं पुलिस को घटना की जानकारी देना बताता है। इस साक्षी का यह स्पष्ट कहना है कि उसने पुलिस को प्रदर्श पी 03 का कथन भी नहीं दिया था। संजय (अ0सा0-03) के द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने के कारण उसे पक्षविरोधी कर उसका विस्तृत परीक्षण किया गया है, परन्तु इस साक्षी के कथनों से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

- 09— संजय (अ0सा0-03) ने फरियादियां कमलेश (अ0सा0-01) का पुत्र होने के बाद भी एवं अभियोजन कहानी के अनुसार घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होते हुये भी अभियोजन का लेषमात्र भी समर्थन नहीं किया है, परन्तु साक्षी सुनीता (अ0सा0-02) जो कि फरियादियां कमलेश (अ0सा0-01) की देवरानी है, ने अपने न्यायालीन कथनों में फरियादिया कमलेश (अ0सा0-01) के कथनों की पुष्टि करते हुये, उसके द्वारा बताई गई घटना के समर्थन में कथन देते हुये व्यक्त किया है कि दो ढाई साल पहले घटना के समय जब वह अपने घर पर थी, तो वह जेठानी की चिल्लाने पर उसके घर गई थी, तो उसने देखा था कि अभियुक्त जेठानी के घर में घुस गया था, जो जेठानी के साथ झुमाझटकी कर रहा था तथा उसके पहुंचने पर अभियुक्त वहां से चला गया था।
- 10— कमलेश (अ0सा0-01) के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथन की घटना दिनांक की रात्रि को जब उसका पति घर पर नहीं था और वह अपने बच्चों के साथ घर में सो रही थी, तो उसने अभियुक्त को अपने घर में घुसा हुआ देखा था, उसे पकड़ने पर वह उसे धक्का देकर भाग गया था, की पुष्टि प्रकरण में दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 में उल्लेखित घटना से होती है, जिस पर इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना अपने कथनों में स्वीकार किये हैं। कमलेश (अ0सा0-01) के द्वारा मुख्य परीक्षण में दिये गये उपरोक्त कथन कुछ मामूली विरोधाभास व अतिशयोक्ति कथनों को छोड़कर उसके संपूर्ण प्रतिपरीक्षण में अखण्डित है। वहीं कमलेश (अ0सा0-01) के द्वारा बताई गई घटना की पुष्टि सुनीता (अ0सा0-02) ने भी अपने न्यायालीन कथनों में की है तथा इस साक्षी की भी साक्ष्य घटना के संबंध में अखण्डित है, जिसमें कोई भी तात्त्विक विरोधाभास नहीं है।
- 11— अतः फरियादियां कमलेश (अ0सा0-01) व सुनीता (अ0सा0-02) के द्वारा न्यायालय में दिये गये अखण्डित कथन जो कि पूरी तरह से अभियोजन घटना का समर्थन करते हैं, के आधार पर इस आशय की विश्वसनीय साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध है कि घटना दिनांक की रात्रि को अभियुक्त फरियादियां कमलेश (अ0सा0-01) के पति की अनुपस्थिति में उसके घर में चोरी छुपे घुसा था, जिसे फरियादियां व प्रत्यक्षदर्शी साक्षी सुनीता (अ0सा0-02) ने पहचान लिया था और जब फरियादिया ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, तो वह धक्का देकर भाग गया था।
- 12— फरियादिया कमलेश (अ0सा0-01) व सुनीता (अ0सा0-02) के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से यह प्रतिरक्षा ली गई है कि फरियादिया के पति व सुनील नामक व्यक्ति की आपस में दोस्ती व पहचान है तथा सुनील के भडकाने पर यह झूठा प्रकरण फरियादियां

के द्वारा पंजीबद्ध कराया गया है। फरियादियां कमलेश (अ0सा0-01) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-06 में यह स्वीकार किया है कि सुनील से उसके पति की अच्छी जानपहचान है, तथा अभियुक्त के पिता ने सुनील पर मुकदमा भी किया है, जिससे स्पष्ट है कि सुनील नामक व्यक्ति व अभियुक्त के पिता के मध्य के विवाद को बचाव पक्ष अभिलेख पर लाने में सफल रहा है।

- 13- यह उल्लेखनीय है कि फरियादियां के पति से सुनील की जानपहचान अवश्य थी, पर घटना के समय फरियादिया के पति की मौके पर उपस्थिति बचाव पक्ष के द्वारा प्रमाणित नहीं की गई जबकि घटना दिनांक की रात्रि को फरियादियां का पति बैण्ड बजाने ग्राम गरेठी गया था, इस संबंध में फरियादी के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथनों पर अविश्वास करने का कोई आधार बचाव पक्ष की ओर से स्थापित नहीं किया गया। अतः ऐसे में पति की अनुपस्थिति में फरियादिया अपने पति के किसी मित्र की अभियुक्त के पिता से रंजिश होने पर से उसके पुत्र को झूठा फंसा सकती है, इस पर अभिलेख पर आई साक्ष्य के आधार पर विश्वास करना कठिन है।
- 14- बचाव पक्ष की ओर से अपने समर्थन में स्वयं अभियुक्त दिनेश कुमार (ब0सा0-01) के कथन न्यायालय में कराये गये हैं, जिसमें स्वयं अभियुक्त का कही भी यह कहना नहीं है कि सुनील से उसके पिता की रंजिश के कारण उसे फरियादिया ने प्रकरण में झूठा फसाया है। बल्कि अभियुक्त दिनेश कुमार (ब0सा0-01) का अपने कथनों में यह कहना है कि घटना दिनांक 27.06.2014 को कथित अभियोजन घटना से पूर्व फरियादियां का पति लालाराम व उसका भाई पप्पू उसके पिता को गालियां देने घर पर आये थे, तो उसके पिता व गांव वालों ने फरियादियां के पति लालाराम को तलवार के साथ पकड़ लिया था और पिपरई थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी तथा उस रिपोर्ट पर से प्रकरण लालाराम के विरुद्ध न्यायालय में चला है जिसमें उसके पिता के द्वारा राजीनामा भी कर लिया गया है।
- 15- बचाव पक्ष की ओर से अपने समर्थन में अभियुक्त के पिता के द्वारा फरियादियां के पति लालाराम व उसके भाई पप्पू के विरुद्ध दायर किये गये परिवाद प्रदर्श डी-03 की सत्यप्रतिलिपि एवं उक्त प्रकरण में दिनांक 08.04.2017 को हुये राजीनामे पर पारित किये गये आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श डी-04 एवं घटना दिनांक को तैयार किये गये पंचनामा प्रदर्श डी-05 व आवेदन प्रदर्श डी-06 सहित अभियुक्त की अंक सूची प्रदर्श डी-07 थी, प्रस्तुत की गई है।
- 16- उपरोक्त दस्तावेजों के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत परिवाद पत्र की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श डी-03 के अनुसार उक्त परिवाद पत्र अभियुक्त के द्वारा न्यायालय में कथित घटना के लगभग एक माह के बाद दिनांक 28.07.2014 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। यदि घटना दिनांक को ही रात्रि में फरियादियां के पति को तलवार सहित अभियुक्त के पिता ने पकड़ लिया था और थाने पर रिपोर्ट भी हुई थी, तो उक्त दिनांक

की कार्यवाही से संबंधित दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत होने चाहिए थे, जिससे फरियादियां के द्वारा दिये गये इन कथनों का खण्डन होता हो कि घटना दिनांक को रात्रि को उसका पति ग्राम गयेगी गया था, परन्तु दिनांक 27.06.2017 को अभियुक्त के पिता के द्वारा ऐसी कोई भी कार्यवाही की गई, इस आशय का कोई युक्ति-युक्त प्रमाण अभिलेख पर नहीं है।

- 17— कोई भी सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति बचाव पक्ष की इस प्रतिज्ञा पर इस आधार पर विश्वास ही नहीं कर सकता है कि घटना दिनांक की रात्रि को तलवार सहित यदि फरियादियां के पति को अभियुक्त के पिता द्वारा पकड़ा गया हो और उसके पश्चात भी उक्त दिनांक को ही अभियुक्त के विरुद्ध फरियादियां के द्वारा प्रकरण कायम कराये जाने के बाद भी तुरन्त कार्यवाही न की जावे। घटना के एक माह के बाद अभियुक्त के पिता के द्वारा परिवाद का प्रस्तुत किया जाना तथा घटना दिनांक को थाने पर कोई कार्यवाही न किया जाना अपने आप में यह दर्शित करता है कि इस प्रकरण का काउन्टर प्रकरण बनाने के लिये संभवतः उक्त परिवाद एक माह के बाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 18— जहां तक प्रस्तुत पंचनामा प्रदर्श डी-05 का प्रश्न है, उक्त दस्तावेज लोक दस्तावेज की सत्यप्रतिलिपि नहीं है, अतः ऐसे में उसे लोक दस्तावेज की द्वितीय साक्ष्य के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है। उक्त दस्तावेज की मूल को भी विधिवत् उक्त दस्तावेज की लेखक एवं साक्षियों से साबित नहीं किया गया है। वहीं प्रस्तुत पंचनामा में घटना दिनांक व परिवाद में घटना दिनांक अलग-अलग उल्लेख की गई है, जिससे उक्त पंचनामा सर्वप्रथम तो विधिवत् प्रमाणित नहीं किया गया है वहीं घटना दिनांक में अंतर होने से उक्त दस्तावेज अपनी विश्वसनीय स्वतः ही खो देता है। अतः अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों व मौखिक साक्ष्य के आधार पर ली गई प्रतिरक्षा लेशमात्र भी विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है।
- 19— बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रतिरक्षा में फरियादी के न्यायालीन कथनों में दिये गये प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेखित घटना के अलावा घटना स्थल के संबंध में दिये गये कथनों को लेकर उत्पन्न हुये विरोधाभास पर विशेष बल दिया गया है तथा इस संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक अशोक रघुवंशी (अ0सा0-03) व अनुसंधानकर्ता अधिकारी राजकुमार सिंह परिहार (अ0सा0-04) जिनके द्वारा विवेचना के प्रक्रम पर फरियादियां के कथन लेख किये गये, का विस्तारपूर्वक परीक्षण किया गया है। अशोक रघुवंशी (अ0सा0-03) ने अपने न्यायालीन कथनों में यह स्वीकार किया है कि फरियादियां ने प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराते समय यह नहीं बताया था कि उसका लडका व लडकी उसके साथ में सो रहे थे तथा उसका गुरु भाई पतरे चबूतरे पर सो रहा था और न ही प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह लेख कराया था कि उसने अभियुक्त को देखने के लिये डंडा उठाया था तथा अभियुक्त उससे चैट गया था। इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह नहीं लिखाया है कि घटना घर के किस भाग की है। इसी प्रकार अनुसंधानकर्ता अधिकारी राजकुमार सिंह परिहार (अ0सा0-04) ने भी अपने

कथनों में यह स्वीकार किया है कि पुलिस को कथन देते समय उपरोक्त कथन फरियादियां ने एवं सुनीता बाई ने उसे नहीं दिये थे।

- 20— यह उल्लेखनीय है कि निश्चित रूप से फरियादियां कमलेश (अ0सा0-01) ने प्रकरण में दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट व पुलिस को दिये गये कथनों में कहीं भी यह लेख नहीं कराया है कि वह घटना के समय घर के किस स्थान पर सो रही थी, तथा उसके घर में उसके साथ पुत्र के अलावा और कौन कौन था, न्यायालय में इस संबंध में दिये गये कथन मौके की स्थिति को स्पष्ट करते हुये फरियादियां के द्वारा दिये गये हैं, प्रथम सूचना रिपोर्ट में संपूर्ण घटना का वृत्तान्त दिया जाना आवश्यक नहीं है, उक्त रिपोर्ट घटना घटित होने की सूचना मात्र होती है अतः ऐसे में न्यायालय में प्रथम सूचना रिपोर्ट में लेख कराई गई घटना को और स्पष्ट करते हुये दिये गये कथन विरोधाभास की श्रेणी में नहीं आते हैं और न ही उसके आधार पर फरियादियां की साक्ष्य को नकारा जा सकता है।
- 21— कमलेश (अ0सा0-01) का निश्चित रूप से अपने मुख्य परीक्षण में यह कहना है कि वह घटना के समय आंगन में सो रही थी तथा प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-06 में इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना के समय वह जो सड़क से लग जो कमरा है उसमें बच्चों के साथ सो रही थी, फरियादियां के उपरोक्त कथनों को उसके द्वारा दी गई संपूर्ण साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुये देखा जाना आवश्यक है कि क्योंकि फरियादियां का अपने कथनों में यह भी कहना है कि उसके घर में जो आंगन था, उसको तोड़कर कमरों का निर्माण उसके द्वारा किया गया है तथा पूर्व में उसके घर में दरवाजा नहीं था, जो उसने बाद में लगवाया है।
- 22— सुनीता (अ0सा0-02) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-03 में यह कथन दिये हैं कि उसकी जेठानी के घर में दो कमरे हैं, और कुछ नहीं है, जबकि नक्शा मौका प्रदर्श पी-02 में घर में आंगन भी दर्शाया गया है। इस साक्षी का यह कहना है कि जेठानी जिस कमरे में सोती है, उसमें उसने आरोपी को देखा था। प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-06 में फरियादियां के द्वारा दिये गये कथन कि वह सड़क से लगे कमरे में सो रही थी। फरियादियां कमलेश (अ0सा0-01) का यह कहना है कि घटना के बाद आंगन तोड़कर उसके द्वारा कमरे का निर्माण किया गया है। अतः ऐसे में आज की स्थिति में कमलेश (अ0सा0-01) व सुनीता (अ0सा0-02) के द्वारा इस संबंध में दिये गये विरोधाभासी कथन कि घटना के समय फरियादियां कहा सो रही थी तथा अभियुक्त को घर के किस भाग में देखा गया था, निश्चित रूप से घटना के बाद मकान के निर्माण उपरांत हुये परिवर्तन के कारण दिये गये प्रतीत होते हैं, जो कि तात्त्विक नहीं है।
- 23— फरियादिया कमलेश (अ0सा0-01) के द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-04 में यह व्यक्त किया गया है कि घटना के समय सुनीता (अ0सा0-02) उसके पास सो रही थी जबकि स्वयं सुनीता (अ0सा0-02) का यह कहना है कि वह अपने घर पर थी और चिल्लाने की आवाज सुनकर मौके पर पहुंची थी। अतः वास्तव में सुनीता (अ0सा0-02)

फरियादी के घर में सो रही थी, इस संबंध में इस साक्षी के कथनों में दिये गये विरोधाभासी कथन को भी संपूर्ण कथनों को दृष्टिगत रखते हुये देखा जाने की आवश्यकता है। फरियादियां अपने मुख्य परीक्षण में ही कहती है कि चिल्लाने की आवाज सुनकर सुनीता (अ0सा0-02) मौके पर आई थी, तथा प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-05 में भी फरियादियां का कहना है कि आरोपी के भागने के 5 से 10 मिनट के बाद सुनीता मौके पर आई थी।

- 24- कमलेश (अ0सा0-01) के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथन यह स्पष्ट करते हैं कि सुनीता (अ0सा0-02) घटना के समय उसके घर में उसके पास नहीं सो रही थी, बल्कि सुनीता का मकान उसके घर से लगा हुआ है तथा सुनीता का भी यह कहना है कि मकान एक ही बाखर में है, इसलिए कमलेश (अ0सा0-01) का यह कथन कि सुनीता उसके पास सो रही थी, उसी दृष्टि देखा जाना उचित होगा कि मकान पास होने के कारण उसके द्वारा ऐसे कथन दिये गये।
- 25- इसी प्रकार कमलेश (अ0सा0-01) का यह कहना है कि घटना के समय उसके घर में लाईट नहीं थी, उसने उजेली रात में अभियुक्त को पहचाना था, जबकि सुनीता (अ0सा0-02) का कहना है कि उसने लाईट की रोशनी में अभियुक्त को पहचान लिया था तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी लट्टू की रोशनी में फरियादिया के द्वारा अभियुक्त को देखना बताया गया था। अतः अभियुक्त को लाईट की रोशनी में देखा था या उजेली रात में देखा था, इस संबंध में फरियादिया के कथनों में निश्चित रूप से विरोधाभास अवश्य है परन्तु मात्र उक्त विरोधाभास के आधार पर उसके द्वारा दी गई शेष विश्वसनीय साक्ष्य को नकारा नहीं जा सकता है। फरियादियां एक ग्रामीण महिला है, जिसके कारण इस साक्षी के कथनों में इस तरह के मामूली विरोधाभास का आना स्वभाविक है।
- 26- फरियादिया कमलेश (अ0सा0-01) ने अपने न्यायालीन कथनों में इस संबंध में अखण्डित साक्ष्य दी है कि रात्रि 12:00 बजे उसने अभियुक्त को अपने घर में घुसा देखा था, जिसको पकड़ने पर वह उसे धक्का देकर भाग गया था, और जब वह चिल्लाई थी तो मौके पर सुनीता (अ0सा0-02) आ गई थी। सुनीता (अ0सा0-02) ने फरियादी के कथनों का पूरी तरफ से समर्थन करते हुये अभियुक्त को फरियादी के घर से निकलकर जाते हुये देखना बताया है तथा इस साक्षी ने अपने कथनों में इस बात की पुष्टि की है कि फरियादियां के पकड़ने पर अभियुक्त उसे धक्का देकर भाग गया था। इन दोनों ही साक्षियों की साक्ष्य अखण्डित है तथा इनके कथनों में कोई महत्वपूर्ण तात्त्विक विरोधाभास नहीं है, अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक की रात्रि को अभियुक्त ने चोरी छुपे फरियादियां के घर में प्रवेश किया था, जिसे पकड़ने पर अभियुक्त फरियादियां को धक्का देकर भाग गया था।
- 27- अभियुक्त ने फरियादिया के घर में चोरी करने के लिये रात्रि में प्रवेश किया था, इस संबंध में फरियादिया ने अपने न्यायालीन कथनों में कहीं कोई कथन नहीं दिये हैं। वहीं सुनीता

(अ0सा0-02) का यह कहना है कि उसे नही पता है कि अभियुक्त घर में क्यों घुसा था। अतः ऐसे में अभियुक्त ने चोरी करने की नियत अथवा आशय से फरियादियां के घर में रात्रि में प्रवेश किया, इस संबंध में अभिलेख पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है परन्तु रात्रि में चोरी छुपे फरियादियां के घर में प्रवेश वहां से फरियादिया को धक्का देकर भागना यह साबित करता है कि अभियुक्त निश्चित रूप से कोई अपराध करने की नियत से रात्रि में फरियादियां के घर में घुसा था।

28— परिणामस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर भले ही अभियोजन यह साबित नहीं कर सका है कि अभियुक्त चोरी करने के आशय से फरियादिया कमलेश के घर में घुसा था, परन्तु अभियोजन यह युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में पूरी तरफ से सफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 27.06.2014 को रात्रि 12:00 बजे फरियादी के घर ग्राम देरासा थाना पिपरई में कारावास से दण्डनीय कोई अपराध कारित करने के लिये फरियादियां कमलेशबाई, के घर में सूर्यअस्त के पश्चात् तथा सूर्य उदय से पूर्व प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन्न गृहअतिचार या रात्रौ गृहभेदन कारित किया।

29— फलतः अभियुक्त दिनेश पुत्र मेहताब सिंह अहिरवार को भा.दं.वि. की धारा 457 के आरोप प्रमाणित होने से उन्हें भा.दं.वि. की धारा 457 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष सिद्ध घोषित किया जाता है।

30— अभियुक्त की आयु अपराध की प्रकृति, गंभीरता एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्त को आपराधिक परिवेक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है निर्णय दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु स्थगित किया जाता है।

निर्णय कुछ देर बाद पेश हो।

(असिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी, जिला अशोकनगर (म.प्र.)

31— दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त तथा उसके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनके द्वारा व्यक्त किया गया अभियुक्त आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं है तथा अभियुक्त प्रकरण में नियमित उपस्थित हुआ है तथा अभियुक्त शिक्षक है इसलिये दण्ड देते समय सहानुभूतिपूर्वक विचार किये जाने पर निवेदन किया। अभियुक्त के द्वारा फरियादियां कमलेश के घर में उसके पति की अनुपस्थिति में घुसने का दण्डनीय अपराध कारित

किया है, जो यह दर्शित करता है कि अभियुक्त को कानून का कोई भय नहीं है तथा रात्रि के समय एक महिला के घर में प्रवेश करके अभियुक्त कोई अन्य गंभीर अपराध भी कारित कर सकता था, परन्तु चूंकि अभियुक्त शिक्षित व्यक्तित्व है, और शिक्षक भी है, इसको देखते हुये अभियुक्त दिनेश पुत्र मेहताब सिंह अहिरवार को भा0दं0वि0 की धारा 457 के अपराध का दोषी पाते हुये उक्त अपराध के आरोप अभियुक्त को 03 माह (तीन माह) का सश्रम कारावास एवं 500/- रुपये (पांच सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड दण्ड अदा न करने की दशा में 07 दिवस (सात दिवस) का पृथक से साधारण कारावास भुगताया जावे।

- 32— अभियुक्त की न्यायिक निरोध में गुजारी गई अवधि दण्ड में समायोजित की जावे। अभियुक्त का धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्त के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण में जुप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी
जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी
जिला अशोकनगर (म.प्र.)